भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3107
गुरूवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक)

'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक कार्यनीति

3107. श्रीमती संगीता यादव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय बजट 2024-25 में 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक व्यापक कार्यनीति तैयार की गई है जिसमें नौ प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिनका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रचुर संख्या में अवसर सृजित करना है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजनाओं, रूपरेखा अथवा तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य मंत्रालयों/नीति आयोग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 25 वर्षीय विजन, अर्थात, "विकसित भारत@2047" तैयार करने का निर्णय लिया है। इस विजन का उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपनी योजनाओं/नीतियों को बनाने में सक्षम बनाना है। सरकार द्वारा विजन तैयार करने के लिए सचिवों के दस क्षेत्रीय समूह गठित किए गए हैं, जिनका समन्वय नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है।

सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है। बजट 2024-25 में, 1,07,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, रोजगार संबंद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल की गई जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप देना तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाना तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का लक्ष्य पांच साल में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। पीएम इंटर्नशिप योजना, युवाओं को विभिन्न व्यवसायों या संगठनों के मध्य जा कर वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा अनुभव और कौशल हासिल करने का अवसर प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग जगत की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को पाटकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस योजना को एक ऑनलाइन पोर्टल https://pminternship.mca.gov.in के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्लयू) बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया है जो आधार नंबर से जुड़ा हुआ है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य स्व-घोषणा के आधार पर असंगठित श्रमिकों को एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में ई-श्रम को विकसित करने की बजट घोषणा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया।

श्रम संबंधी सुधारों के एक हिस्से के रूप में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टलों का व्यापक सुधार शुरू किया है।

विधायी सुधारों के रूप में, केंद्रीय क्षेत्र में मौजूदा 29 अधिनियमों को चार संहिताओं अर्थात संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में सम्मिलित किया गया है। इन संहिताओं का उद्देश्य प्रत्येक कामगार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार अवसरों के सृजन को उत्प्रेरित करना; अन्य बातों के साथ-साथ सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालनात्मक संबंधी बोझ को घटाने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना; कारखाना लाइसेंस; अनुबंध श्रम लाइसेंस के लिए स्तर ऊंचा करना; छंटनी, कामबंदी हेतु पूर्व अनुमति तथा स्थायी आदेशों के प्रमाणन और कलोजर्र के लिए प्रावधान प्रदान करना है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल से लैस भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए उपायों और विकास के मार्ग की रूपरेखा तैयार की गई है। ये प्रस्तावित विकास उपाय- कृषि विकास और उत्पादकता, ग्रामीण समृद्धि और लचीलेपन का निर्माण, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, विनिर्माण को बढ़ावा देना, एमएसएमई को सहयोग देना, रोजगार आधारित विकास को सक्षम बनाना, लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देने सहित दस प्रमुख क्षेत्रों में फैले हुए हैं। सरकार ने कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के इंजन के रूप में पहचाना है तथा कराधान, वित्तीय क्षेत्र, विनियमन और अन्य क्षेत्रों में सुधारों को समावेशी विकास के ईंधन के रूप में पहचाना है।

****